

27.12.2024:-

पत्रावली आज वादी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर पेशी में लिया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे निवेदन किया कि वादी का धरेलू तौर पर समझौता हो गया है। इसलिए इसलिए उक्त वादपत्र इस आशय पुनः नया वाद पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति से विद्वा करना चाहते है। वादी अधिवक्ता के निवेदन पर उक्त प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादी के फर्द अहकाम पर अगुठा/हस्ताक्षर करवाये गये। वादी की पहचान वादी अधिवक्ता श्री नवदीपसिंह करवासरा द्वारा कि गई। उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद पत्र मौजूदा सूरत में नया वाद प्रस्तुत करने की अनुमति से साथ विद्वा किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

0/25

सहायक कलेक्टर
ए. उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

